न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 427 / 2018

उनवान

1. श्रीमति चान्दी पुत्री लेहरू पत्नि भॅवर लाल जाट निवासी पांसल हाल मुकाम आमलीगढ तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. उदा पिता सोनाथ जाट निवासी पांसल तहसील भीलवाडा
2. श्रीमति सोहनी पुत्री सोनाथ पत्नि जवाहर लाल जाट निवासी हाल वार्ड नम्बर 1 मंगलपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती अलोल पुत्री सोनाथ पत्नि भागू जाट निवासी मलाण सुभाषनगर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
4. शंकर लाल मुतबन्ना उदा (जायन्दा पुत्र गोपी) जाट जाति जाट निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
5. उप पंजीयक भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा
7. नगर विकास न्यास, भीलवाडा तहसील भीलवाडा
8. श्रीमती घीसी पत्नि उदा जाट निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
9. विनोद कुमार पिता भॅवर लाल चौरडिया निवासी आर के कोलोनी, तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
10. बलवीर पिता भॅवर लाल गुर्जर निवासी आजाद नगर, भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
11. लादू राम पिता लालचन्द स्वर्णकार जाति सोनी निवासी जुनावास तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

12. मनीष कुमार पिता सुरेश चन्द्र सेन निवासी शास्त्रीनगर भीलवाडा
13. महेन्द्र पिता जीवन सिंह नाहर निवासी गांधीनगर, भीलवाडा
14. श्रीमति रश्मि पत्नि महेन्द्र नाहर निवासी गांधीनगर, भीलवाडा
15. सुशील पिता दलपत सिंह भण्डारी निवासी अशोकनगर, भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 381/2011 निर्णय दिनांक 2.11.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री मांगीलाल सेन, अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री अम्बा लाल कुमावत प्रत्यर्थी संख्या 1, 8, 9 से 15
3.श्री गणेश लाल जोशी अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 7
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 29.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 एवं अपीलार्थी /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का सजरा निम्नानुसार है :–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

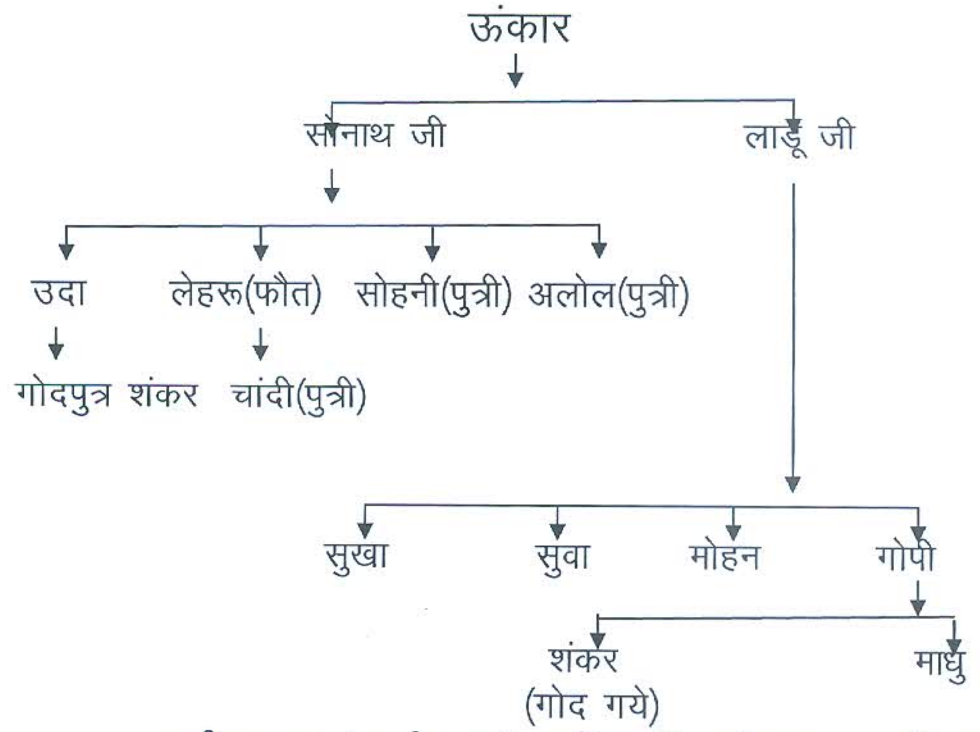

2. अपीलाण्ट/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मूल पुरूष पूर्वज श्री ऊंकार जी के देहान्त के बाद उनके नाम की जमीन उनके पुत्रों सोनाथ जी व लाडू जी के नाम पर आ गई जिन्होंनें आपस में विभाजन कर अपनी–अपनी जमीन के खाते अलग करा लिये। सोनाथ जी के खाते में आराजी नम्बर 1205 रकबा 0.13 बिस्वा, आराजी नम्बर 1209 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 1216 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1217 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 1221 रकबा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 1223 रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा, 1224 रकबा 08 बिस्वा, आराजी नम्बर 3737 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 4443/3737 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 4505 रकबा 08 बिस्वा आराजी नम्बर 4508/3104 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 11 कुल रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा भूमि रही । सोनाथ जी के देहान्त के बाद उक्त भूमि अकेले उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 उदा जी के नाम पर दर्ज हो गई। जबकि प्रतिवादी संख्या 4 को गोद लेने के पूर्व उक्त भूमि वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संयुक्त रूप से दर्ज होनी चाहिये क्योंकि वादीगण संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 चारों ही मृतक खातेदार सोनाथ जी के प्रथम श्रेणी के वारिस व काबिज जायदाद हैं। इस प्रकार उक्त भूमि में उदा जी का सिर्फ 1/4 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिये था।

3. प्रतिवादी संख्या 1 के कोई भी संतान नहीं होने से उन्होनें अपने वंश को आगे बढाने के लिए सजरे में अंकित गोपी जी के पुत्र शंकर को मिति आषाढ सुदी 3 तदनुसार दिनांक 25.6.2009 को अपनी दोनों पत्नियों श्रीमती रामसुखी व श्रीमती घीसी की सहमति से गोद ले लिया । शंकर को गोद उसके जन्मदाता पिता गोपी जी व माता ने दिया और प्रतिवादी संख्या 1 उदा जी ने अपनी दोनों पत्नियों की सहमति से उसे गोद लिया और गोद के सारे धार्मिक व सामाजिक संस्कार किये और गांव व जाति और समाज के पंचों के सामने शंकर वादी संख्या 4 को अपनी गोद में बैठाया, गोद का लहरिया पण्डित जी ने बंधवाया था, गुड–'पताशे बांटे गये और गोद रखने का स्नेहभोज करवाया जिसमें गांव व जाति बिरादरी व रिश्तेदारी के सभी लोग सम्मिलित हुए । वादी संख्या 4 शंकर को प्रतिवादी संख्या 1 उदाजी ने बचपन में ही अपने पास गोदपुत्र के रूप में रख लिया था और उसे पालपोस कर बडा लिया, उसे पढाया लिखाया और उसका विवाह भी करवाया । गोद रखने की धार्मिक व विधिवत रस्में दिनांक 25.6.2009 को पांसल में उदा जी के मकान पर ही सम्पादित की गई । उदा जी द्वारा स्नेहभोज में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र जाति–बिरादरी व रिश्तेदारी में भेजे गये थे और गोद रखने के वक्त के फोटोग्राफ्स भी लिये गये। वक्त गोद से ही वादी संख्या 4 शंकर प्रतिवादी संख्या 1 उदा जी के परिवार का जायन्दा पुत्र के रूप में सदस्य हो गया और उदा जी की समस्त जमीन जायदाद, चल–अचल सम्पति

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर काबिज हो गया । वादी संख्या 4 शंकर ने भारतीय जीवन बीमा निगम से अपनी जीवन बीमा दिनांक 16.3.2010 को कराया था उसमें भी उसके पिता का नाम उदयलाल जाट लिखा हुआ है। बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में शंकर का बैंक खाता है उसमें भी उसके पिता का नाम उदा लाल जाट लिखा हुआ है। शंकर ने अपना अलग से राशनकार्ड बनाया उसमें भी उसके पिता का नाम उदा जी लिखा हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शंकर का जो पहचान पत्र दिनांक 15.1.2011 को बनाया गया उसमें भी शंकर के पिता का नाम उदा लिखा हुआ है। आयकर विभाग से शंकर का जो पेन कार्ड बना हुआ है उसमें भी शंकर के पिता का नाम उदय लाल जाट लिखा हुआ है। ये सभी तथ्य प्रमाणित करते हैं कि वादी संख्या 4 शंकर प्रतिवादी संख्या 1 का गोदपुत्र है और उसका उदा जी की समस्त चल–अचल सम्पति में उदा जी के बराबर ही हक हिस्सा निहित हो गया है। उदा जी के नाम की उक्त भूमि पर वादीगण का निरन्तर कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है।

4. सोनाथ जी के नाम पर जो जमीन दर्ज थी जो कि उनके देहान्त के बाद विरासत से अकेले प्रतिवादी संख्या 1 उदा जी के नाम पर दर्ज हो गई जिसका नाजायज लाभ उठाकर उदा जी ने उक्त भूमि में से काफी भूमि विक्रय कर दी और उसका प्रतिफल अकेले प्रतिवादी संख्या 1 ने प्राप्त कर लिया जिससे अब आराजी नम्बर 1216 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1217 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 3737 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा, आराजी नम्बर 3738 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 4443/3737 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा ही शेष बची है। उक्त आराजी नम्बर 3737 व 3738 में से कमशः 1 बीघा 8 बिस्वा व 4 बिस्वा भूमि नगर विकास

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यास, भीलवाडा ने रिंग रोड बनाने हेतु अवाप्त कर ली , जिसका काफी मुआवजा नगद राशि में उदा जी ने प्राप्त कर लिया है और अब कुछ मुआवजा राशि ही नगर विकास से प्राप्त करना शेष रहा है। अवाप्त की गई भूमि के आराजी नम्बर 3737/1 व 3738/1 किता 2 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कायम किये गये जिससे खाते में अब 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि ही शेष रही है। जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 उदा जी का कोई भी हक हिस्सा शेष नहीं रहा है इस कारण से इस भूमि के खाते से उदा जी का नाम हटाया जाकर वादीगण संख्या 1 से 4 का नाम समान हक हिस्से से दर्ज कराया जाना आवश्यक है और घोषणात्मक डिक्री से यह घोषित कराया जाना आवश्यक है कि उक्त वादग्रस्त शेष भूमि किता 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार वादीगण हैं और इस भूमि का कोई भी स्वत्व प्रतिवादी संख्या 1 उदा जी में निहित नहीं रहा है जिससे उनका नाम इस भूमि के खाते से हटाया जाना आवश्यक है। राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त भूमि अकेले प्रतिवादी संख्या 1 उदा जी के नाम पर दर्ज रह जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को नुकसान पहूँचाने की नियत से इस वादग्रस्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे हैं और इस भूमि से वादीगण को बेदखल भी करना चाहता है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से दिनांक 1.12.2011 को कहा कि वे उक्त शेष रही आराजियात को अपने नाम से हटाकर वादीगण के नाम दर्ज करा दो और इस भूमि को किसी को भी बेचान या रहन मत करों तो वे नाराज हो गये और वादीगण को धमकी दी कि जमीन मेरे नाम पर दर्ज है इस कारण से मैं इस भूमि को बेचकर सारा रूपया हजम कर जाउंगा । मैनें पहले भी काफी जमीन बेचकर उसका फायदा अकेले उठाया है जिसमें भी आप लोग कुछ नहीं कर सके थे और अब भी कुछ नहीं कर सकते हो।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

5. अतः वाद अनुसार घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर यह घोषित कराया जावे कि ग्राम पांसल स्थित आराजी नम्बर 1216, 1217, 3737, 3738 व 4443/3737 किता 5 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा जिसमें से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा रिंग रोड हेतु अवाप्त कर लिये जाने से अब रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा ही बची है उसका खातेदार काश्तकार समान हक हिस्से से वादीगण को घोषित करया जावे और इन्द्राज दुरूस्ती से इस भूमि के खाते में प्रतिवादी संख्या 1 उदा पिता सोनाथ जाट का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर वादीगण सोहनी, अलोल, चांदी व शंकर का नाम खातेदार के रूप में दर्ज कराया जावे और इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराई जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि वह उक्त वादग्रस्त भूमि किता 5 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम पांसल को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द अंतरित व भारित नहीं करें और इस भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप नहीं करे और इस भूमि से वादीगण को न तो स्वयं बेदखल करें न अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 2 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि अगर प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमि के अंतरण का कोई भी दस्तावेज पंजीयन हेतु उनके समक्ष पेश करे तो वे उसका पंजीयन नहीं करे और प्रतिवादी संख्या 3 ताफैसला वाद इस भूमि के राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करें। प्रतिवादी संख्या 4 नगर विकास न्यास भीलवाडा को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे कि उक्त भूमि में से 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो उन्होनें आराजी नम्बर 3737/1 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा और आराजी नम्बर 3738/1 रकबा 4 बिस्वा किता 2

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा के रूप में रिंगरोड हेतु अवाप्त किया था उसका नगर मुआवजा जो भी प्रतिवादी संख्या 1 उदा को दिया जाना शेष रहाहै वह शेष मुआवजा राशि प्रतिवादी संख्या 1 उदा पिता सोनाथ जाट निवासी पांसल को प्रदान नहीं करें और यह शेष मुआवजा राशि अब वादीगण को प्रदान करे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी संख्या 1 , 2, व 4 द्वारा वाद पत्र में चाही गई दादरसी के बाबत राजीनामा अनुसार वादीगण का वादपत्र खारिज किया एवं वादी संख्या 3 को शेष आराजी नम्बर 1216 रकबा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 1217 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बाबत नया वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीया ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थीया ने अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत वाद में ग्राम पांसल की कृषि आराजी नम्बर 1216, 1217 , 3737, 3738, 4443/3737 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा में खातेदारी घोषणा का वाद विचाराधीन होकर राजस्व रेकार्ड की मौका की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया था। उसके बावजूद वाद के विचाराधीन रहते हुए भी प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि को अलग–अलग तारीखों में भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 8 से 15 को विक्रय कर दिया । जबकि न्यायालय में कोई वाद के विचाराधीन रहते हुए सम्पति का अन्तरण नहीं किया जा सकता है जो कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सम्पति अन्तरण से आबद्ध है । उसके बावजूद उक्त भूमि का अन्तरण होकर भूमि प्रत्यर्थी संख्या 8 से 15 के नाम पर अंकित हो चुकी है अतः प्रत्यर्थी संख्या 8 से 15 के नाम दर्ज भूमि में वादिया/अपीलार्थीया का भी हक हिस्सा शामिल है । अतः प्रत्यर्थी संख्य 8 से 15 के नाम पर वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थीया का भी हक हिस्सा प्रभावित होता है। प्रत्यर्थी संख्या 8 से 15 जो कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । अतः प्रत्यर्थी संख्या 8 से 15 को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

9. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ाजीनामा का प्रार्थना पत्र वादिया संख्या 1 सोहनी की ओर से दिनांक 11.3.2012 को पेश किया गया व वादिया संख्या 2 व 4 की ओर से दिनांक 26.9.2018 को प्रस्तुत किया गया । जिसमें उन्होनें उनके हिस्से तक ही वाद पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की थी। वादिया संख्या 3/अपीलार्थीया चांदी पुत्री लेहरू पत्नि भॅवर लाल जाट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा के बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही राजीनामा बाबत हस्ताक्षर ही किये है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई किये बगैर ही सम्पूर्ण वाद पत्र को खारिज कर दिया । जबकि वादिया संख्या 3/अपीलार्थीया चांदी पुत्री लेहरू व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा नहीं होने से सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी नियत की जानी चाहिये थी। इसके अतिरिक्त जिन पक्षकारों की ओर से राजीनामा प्रस्तुत हुआ उन्हें पुनः न्यायालय में बुलाकर राजीनामा को तस्दीक करने के उपरान्त ही वाद पत्र उनके हक हिस्से तक खारिज किया जा सकता है। अपीलाधीन मामले में अधीनस्थ न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा बिना किसी आधार के वादिया संख्या 3 की सहमति व राजीनामा प्रस्तुत नहीं होने के बावजूद सम्पूर्ण वाद को खारिज कर दिया गया व वादिया संख्या 3 श्रीमती चांदी को केवल मात्र आराजी नम्बर 1216 एवं 1217 के बाबत नया वाद प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान कर दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र आराजी नम्बर 1216 एवं 1217 बाबत नया वाद प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया जबकि आराजी नम्बर 3737 व 3738 के बाबत कोई आदेश नहीं दिया गया । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा एवं वाद पत्र का अवलोकन किये बिना ही जिस पक्षकार की ओर से राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ उसके हिस्से सहित सम्पूर्ण वाद को खारिज करने में कानूनी भूल की है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा पीठासीन अधिकारी महोदय को भ्रमित कर मुगालते में रखते हुए उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित करवाया है । क्योंकि पत्रावली में आदेशिका में भी तारीख पेशियों में भी बार–बार कांट–फांस कर रखी है। जिसमें दिनांक 23.4.2018 से आगामी पेशी तारीख 17.9.2018 नियत थी। इस दिन आदेशिका नहीं लिखी गई है । सीधे ही आदेशिका दिनांक 26.9.2018 को आदेशिका लिखी गई जिसमें राजीनामा पेश हुआ है। जबकि पत्रावली आदेश में चल रही थी। दिनांक 2.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, वाद पत्र का अवलोकन किये बिना ही सम्पूर्ण वाद को ही खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

11. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :-

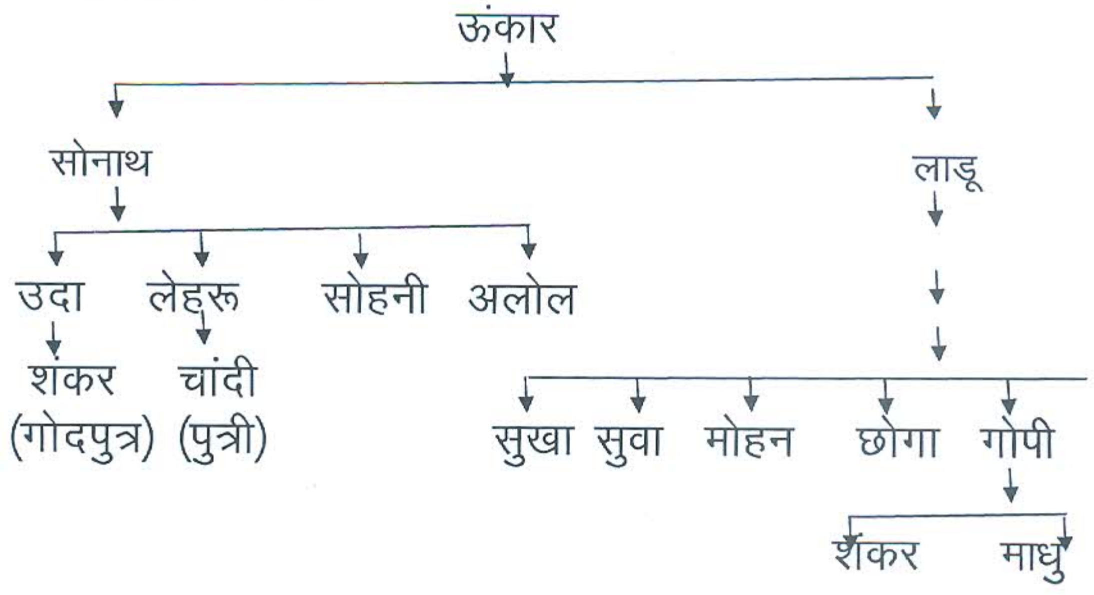

12. मूल पुरूष ऊंकार जी के दो पुत्र सोनाथ व लाडू जी थे। सोनाथ जी के देहान्त के बाद वादग्रस्त आराजी नम्बर 1216, 1217, 3737, 3738, 4443/3737 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा अकेले उनके पुत्र उदा/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम पर दर्ज हो गई। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 4/शंकर को गोद लेने के पूर्व वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज होनी चाहिये थी। क्योंकि वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 चारों ही मृतक सोनाथ जी के प्रथम श्रेणी के वारिस व काबिज जायदाद हैं। इस प्रकार उक्त भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1/उदा जी का सिर्फ 1/4 हक हिस्सा ही दर्ज होना चाहिये था।

13. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीया/वादिया चांदी की ओर से कोई बहस नहीं सुनी गई व अपीलार्थीया/वादिया के हिस्से के वाद पत्र को खारिज करने से पूर्व वादिया को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया । जबकि वादिया ने पूर्व पीठासीन अधिकारी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

महोदय के यहाँ आवेदन पेश कर आगामी पेशी हेतु निवेदन कर दिया था । उसके बावजूद अपीलार्थीया/वादिया को सुने बिना ही उसके हिस्से के वाद पत्र को खारिज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

14. अपीलार्थीया सोनाथ पिता ऊंकार जाट के पुत्र लेहरू की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है एवं वादग्रस्त आराजी में अपीलार्थीया 1/4 हक हिस्सा रखती है। अपीलार्थीया का पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड से विधिक वारिस होना पूर्ण रूप से साबित है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीया/वादिया को ग्राम पांसल की आराजी नम्बर 1216, 1217, 3737, 3738 व 4443/3737, कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा में 1/4 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावे।

15. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 8 एवं 9 से 15 का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/वादिया वादग्रस्त आराजियात के बाबत इकरारनामा (राजीनामा) दिनांक 18.6.2018 से सहमत थी एवं सहमति के फलस्वरूप अपीलार्थीया ने हस्ताक्षर किये हैं । जिसे नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त राजीनामा में ग्राम पांसल की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1205, 1209, 1216, 1217, 1221, 1223, 1224, 3737, 4443/3737, 4505, कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा थी उसमें शेष वर्तमान में खातेदार उदा पिता सोनाथ जाट के नाम पर आराजी नम्बर 1216, 1217, 3737, 3738, 4443/3737 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा रहा है। जिसका विवाद न्यायालय में विचाराधीन है एवं 1216 एवं 1217 राजीनामे से अलग रहेगी। बकाया आराजी का राजीनामा हो गया है। इस राजीनामे पेटे

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3,51,000/–रूपये प्राप्त करना भी स्वीकार किया है। उक्त इकरारनामा (राजीनामा) वादीगण शंकर लाल, अलोल, चांदी देवी एवं चांदी देवी व उसके पति श्री भँवर लाल के हस्ताक्षर है। इस बाबत किये गये इकरारनामे दिनांक 18.6.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी स्वीकार किये जाने के कारण दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पठनीय है।

16. अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्ष कें अधिवक्तागण उपस्थित हुए थे। वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत आपसी राजीनामा का प्रस्तुत किया था, प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वाद पत्र क कलम नम्बर 5 में अंकित आराजियात में से आराजी नम्बर 1216, 1217 के अलावा आराजियात (3737, 3738 4443/3737) कुल किता 3 कुल रकबा रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा भूमि की हक हिस्से तक वाद पत्र को खारिज किये जाने की इस्तदुआ किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीया खारिज की जावे।

17. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र मात्र 7 बीघा 8 बिस्वा के लिये प्रस्तुत किया गया था। जबकि ऊंकार व सोनाथ के मध्य 16 बीघा 1 बिस्वा आराजियात थी। उदा के नाम दर्ज रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा में से नगर विकास न्यास, भीलवाडा में चले जाने के उपरान्त शेष बचे रकबे 5 बीघा 16 बिस्वा का दावा लेकर आये थे। सोनाथ व लेहरू 30–35 वर्ष फौत हो चुके थे तब तक वादीगण ने कोई वाद पत्र प्रस्तुत क्यों नहीं किया । इसका कोई जवाब वादीगण द्वारा नहीं दिया गया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादीगण ने वाद पत्र स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में सभी वादीगण का एक ही अधिवक्ता नियुक्त किया था। अपीलार्थीया /वादिया का पृथक से अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में वादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है ।

19. प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र मात्र 5 बीघा 16 बिस्वा हेतु दावा प्रस्तुत किया गया था। नगर विकास न्यास में गई भूमि बाबत कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलार्थीया उसके हक हिस्से की आराजी नम्बर 1216 एवं 1217 के लिए नया वाद पत्र लाने के लिए स्वतंत्र है।

20. वादिया चांदी देवी के अधिवक्ता द्वारा वादिया की ओर से दिनांक 2.11.2018 को प्रतिरक्षण किया गया था, तथा अधिवक्ता वादिया की सहमति से ही वाद खारिज कियाज कर वादिया को नया वाद प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं।

21. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया ।

22. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/वादिया ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया है एवं न ही राजीनामा पर सहमति के फलस्वरूप हस्ताक्षर ही किये हैं। उसके बावजूद अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थीया के हक हिस्से को भी राजीनामे में सम्मिलित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया एवं आराजी नम्बर 1216 एवं 1217 में वादिया के हक हिस्से के लिए नया वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

23. दौराने विचारण अपील दिनांक 7.2.2019 को अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसके साथ संलग्न दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया । इस कम में अपीलाण्ट द्वारा लिखित जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 13.2.2019 को प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं दिनांक 15.4.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया गया । प्रस्तुत दस्तावेज में संलग्न ईकरारनामा (राजीनामा) दिनांक 18.6.2018 के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलार्थीया/वादिया ने वादग्रस्त आराजियात के बाबत इकरारनामा (राजीनामा) दिनांक 18.6.2018 सहमति के फलस्वरूप अपीलार्थीया ने हस्ताक्षर किये हैं । जिसे नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त राजीनामा में ग्राम पांसल की वादग्रस्त आराजी नम्बर 1205, 1209, 1216, 1217, 1221, 1223, 1224, 3737, 4443/3737, 4505, 4505 कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 1 बिस्वा थी उसमें शेष वर्तमान में खातेदार उदा पिता सोनाथ जाट के नाम पर आराजी नम्बर 1216, 1217, 3737, 3738, 4443/3737 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा रहा है। जिसका विवाद न्यायालय में विचाराधीन है एवं 1216 एवं 1217 राजीनामे से अलग रहेगी। बकाया आराजी का राजीनामा हो गया है। इस राजीनामे पेटे 3,51,000/—रूपये प्राप्त करना भी स्वीकार किया है। उक्त इकरारनामा (राजीनामा) पर वादीगण शंकर लाल, अलोल, चांदी देवी के एवं भँवर लाल पिता हीरा लाल जाट के जो चांदी देवी के पति है के भी हस्ताक्षर है।

24. न्यायालय हाजा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी का जवाब जो कि अपीलार्थीया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके पेरा नम्बर 2 में अंकित किया है कि '' यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 गलत होकर अस्वीकार है इस कलम का जवाब इस प्रकार है कि तथाकथित राजीनामा का ईकरारनामा का निष्पादन दिनांक 18.6.2018 को अपीलार्थी/जवाबदार चांदी की ओर से निष्पादित नहीं किया गया तथाकथित फर्जी व कूटरचित तैयार किया गया जिस पर शंकर लाल ने चांदी व उसके पति भॅवर लाल से धोखे व छलकपट से दस्तखत कराये, अपीलार्थी ने जवाबदार ने साई पेटे कुछ भी राशि प्राप्त नहीं की व राजीनामा होने का कोई ज्ञान नहीं था। '' आगे यह भी अंकित किया है कि '' शंकर लाल ने चांदी के दस्तखत कोर्ट में कार्यवाही में दस्तावेज तैयार करने के बहाने खाली पेपरों पर करवा लिये व बाद मं शंकर ने भी दस्तखत कर दिये अलोल के भी करवा लिये बाद में कम्प्यूटर से टाईपिंग करवा लिया व क्रेता विनोद कुमार पिता भॅवर लाल चौरडिया का नाम लिख दिया । '' अपीलार्थीया का यह कथन कि चादी व उसके पति भॅवर लाल से धोखे से शंकर लाल ने दस्तखत कराये हैं। दूसरी तरफ इसी जवाब प्रार्थना पत्र में खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराये जाने का कथन भी किया है। जबकि उक्त ईकरारनामा (राजीनामा) नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसमें सभी पक्षकार की उपस्थिति रहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत इकरारनामे पर दस्तखत की स्वीकारोक्ति महत्वपूर्ण है। अपीलाण्ट द्वारा इकरारनामे को निरस्त कराने बाबत कोई कार्यवाही की गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इकरारनामे को अविधिक माने जाने का कोई कारण नहीं है।

25. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पुरूष पूर्वज श्री ऊंकार जी व उनके पुत्र सोनाथ जी को प्राप्त समस्त भूमि किता 11 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा बाबत ही वाद लाया जाना था परन्तु एक अन्य खसरा नम्बर 3738 रकबा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1.07 बीघा का भी अंकन कई बाद वाद पत्र व अपील मीमों में किया गया है। जब अपीलाण्ट खसरा नम्बर 3738 को श्री सोनाथ के खाते में दर्ज ही नहीं बता रहे हैं तो किस प्रकार इस खसरे पर खातेदारी अधिकार चाहते हैं ? यह पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। शेष रकबा जो वाद पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व विक्रित किये जा चुके थे । उनके बारे में भी वाद पत्र एवं अपील मीमों में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। श्रीमती चांदी देवी के सम्पति में हक अधिकार के साक्ष्य सबूत के तौर पर मात्र ग्राम पंचायत पांसल का प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली किया गया है। जो प्रदर्श नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त स्वर्गीय श्री सोनाथ से कोई संबंध होने के दस्तावेज अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। अपीलाण्ट के अतिरिक्त शेष 3 वादीगण संख्या 1, 2 व 4 द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। चूंकि अपीलाण्ट से भिन्न अन्य वादीगण के संदर्भ में राजीनामे के आधार पर निर्णय किया गया है, जिस बाबत अपील में कोई अनुतोष नहीं चाहे जाने से कोई निर्णय अपेक्षित नहीं है। । अतः अपीलाण्ट को ही अपने हक अधिकार बाबत वाद साबित करना है। जिसके लिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें नया वाद लाने का अवसर दिया है। अपील मीमों में वर्णित प्रार्थनानुसार बिना साक्ष्य, सबूतों का विवेचन किये, व निर्धारित प्रकिया अपनाए अपीलाण्ट/वादिया नम्बर 3 को विवादित भूमि में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना संभव नहीं है। अतः चाहा वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिए अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चाराजोही करनी होगी । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई निर्णय पारित नहीं किया है, वरन वादिया नम्बर 3 को अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हक अधिकार के निर्धारण हेतु नया वाद लाने की स्वतंत्रता दी है।

26. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थीया/वादिया संख्या 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं करने का कथन किया गया है परन्तु न्यायालय हाजा के समक्ष एफ आई आर नम्बर 55/2019 दिनांक 17.1.2019, इकरार नामा दिनांक 18.6.2018 व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत निगरानी आदेश प्रकरण संख्या 2236/17 के दस्तावेज सी पी सी के आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत किये गये हैं। जिन्हे उभयपक्षकारान को सुनकर न्यायहित में रेकार्ड पर लिया गया है । इन दस्तावेजों में अपीलाण्ट का हस्ताक्षरशुदा इकरारनामा दिनांक 18.6.2018 महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अपीलाण्ट द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इकरारनामे पर उनके हस्ताक्षर हैं, परन्तु इस दस्तावेज को अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा में अपने कथन में प्रदर्शित किये बिना ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीया द्वारा लिखित में अपना जवाब प्रस्तुत किया है तथा शंकर लाल द्वारा धोखे व छल कपट से दस्तखत कराना अपीलाण्ट/वादिया द्वारा साई पेटे कुछ भी राशि प्राप्त नहीं करने व राजीनामा होने का कोई ज्ञान नहीं होने का अंकन किया है। विस्तृत जवाब में राजीनामे को प्रश्नगत किया गया है परन्तु हस्ताक्षर अपीलाण्ट चांदी के होना भी स्वीकार किया गया है। यह राजीनामा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श नहीं हुआ है परन्तु इस राजीनामे पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा राजीनामे को स्वीकार किया है। जिससे इकरारनामे के अस्तित्व में होना व अपीलाण्ट का क्लीन हैण्ड से अपील प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रकट होता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

27. अपीलाण्ट द्वारा श्री सोनाथ की सम्पति का विधिक वारिस बताकर अपने खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा चाही है तथा इस इस संदर्भ में शेष बची आराजियात व कतिपय विकित आराजियात में भी अपना अधिकार चाहा हैं परन्तु अपीलाण्ट के हक हिस्से का निर्धारण, विस्तृत विवेचन उपरान्त ही होना है, जिसमें सभी आवश्यक पक्षकार भी मूर्तिब किये जाने हैं। अपील मीमों का व अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को खारिज कर आराजी नम्बर 1216, 1217, 3737, 4443/3737, व 4005 कुल किता 5 कुल रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा में से 1/4 हक हिस्से तक वादिया/अपीलार्थीया को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन कराये जाने की प्रार्थना की है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/अपीलाण्ट के हक हिस्से बाबत कोई निष्कर्षात्मक निर्णय न कर वादिया को नया वाद प्रस्तुत करने की सीमा तक निर्धारण किया है। अपीलाण्ट द्वारा नया वाद प्रस्तुत किये जाने के आदेश में संशोधन बाबत कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इस स्तर पर अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों में अंकित प्रार्थना अनुसार अपीलार्थीया को वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाने का अनुतोष पोषणीय नहीं होने से अपील खारिज किया जना उचित पाते है। अतः अपील में चाहे गये अनुतोष की हद तक विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जाता है।

28. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है । पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

29. निर्णय आज दिनांक 29.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

29/5/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/427/2018

उनवान

1. श्रीमति चान्दी पुत्री लेहरू पत्नि भॅवर लाल जाट निवासी पांसल हाल मुकाम आमलीगढ तहसील हमीरगढ, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. उदा पिता सोनाथ जाट निवासी पांसल तहसील भीलवाडा
2. श्रीमति सोहनी पुत्री सोनाथ पत्नि जवाहर लाल जाट निवासी हाल वार्ड नम्बर 1 मंगलपुरा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
3. श्रीमती अलोल पुत्री सोनाथ पत्नि भागू जाट निवासी मलाण सुभाषनगर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
4. शंकर लाल मुतबन्ना उदा (जायन्दा पुत्र गोपी) जाट जाति जाट निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
5. उप पंजीयक भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा जिला भीलवाडा
7. नगर विकास न्यास, भीलवाडा तहसील भीलवाडा
8. श्रीमती घीसी पत्नि उदा जाट निवासी पांसल तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
9. विनोद कुमार पिता भॅवर लाल चौरडिया निवासी आर के कोलोनी, तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
10. बलवीर पिता भॅवर लाल गुर्जर निवासी आजाद नगर, भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
11. लादू राम पिता लालचन्द स्वर्णकार जाति सोनी निवासी जुनावास तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
12. मनीष कुमार पिता सुरेश चन्द्र सेन निवासी शास्त्रीनगर भीलवाडा
13. महेन्द्र पिता जीवन सिंह नाहर निवासी गांधीनगर, भीलवाडा
14. श्रीमति रश्मि पत्नि महेन्द्र नाहर निवासी गांधीनगर, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

21 TA /427/2018 चान्दी बनाम उदा

15. सुशील पिता दलपत सिंह भण्डारी निवासी अशोकनगर, भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
रेस्पोडण्ट्स

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 381/2011 निर्णय दिनांक 2.11.2018

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/427/2018** मे **उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्क्रिी जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 29.5.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मांगी लाल सेन वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से अम्बा लाल कुमावत, व श्री गणेश लाल जोशी एवं राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 29.5.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :-

अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 29.5.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह ड्क्रिी जारी की जाती है।

29/5/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस